भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1060

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सर्पदंश से होने वाली मौत

†1060. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

प्रो. सौगत राय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष सर्पदंश से 58,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जो कुल वैश्विक संख्या का लगभग आधा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों से देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्पदंश से होने वाली मौतों का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करके, नए सर्पदंश उपचार गृहों और आधुनिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करके देश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में सर्पदंश से होने वाली मौत को रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दक्षिण-पश्चिम मानसूनी मौसम (जून-सितंबर) के दौरान सर्पदंश से होने वाली मौत अधिक होती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भारत में प्रयुक्त विषरोधक का न्यूनतम गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए नैदानिक परीक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने सर्पदंश विष निवारण एवं रोकथाम (एनएपीएसई)" के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है, जो एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य सर्पदंश के विषरोधी दवाओं की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से सर्पदंश के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है, जिसे https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/NATIONAL-ACTION-PLAN-FOR-PREVENTION-AND-CONTROL-OF-SNAKEBITE-ENVENOMING-NAPSE.pdf. पर देखा जा सकता है।

भारत में सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अंतर्गत एनसीडीसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "सर्पदंश विष निवारण एवं रोकथाम कार्यक्रम" लागू कर रहा है। इसमें शामिल कार्यकलाप इस प्रकार हैं;

- राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल के अंतर्गत सर्प विषरोधी औषधि का प्रावधान
- स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु धनराशि
- जागरूकता अभियान
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के लिए सर्पदंश के मामलों के प्रारंभिक प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल तैयार किया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है।

सर्पदंश के मामलों और मौतों की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसे एक अधिसूचित रोग बनाने की सलाह दी है।

चिकित्सकों के लिए सर्पदंश के विष के नैदानिक प्रबंधन पर मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है और राज्यों में वितरित की गई है, जिसे https://qps.nhsrcindia.org/sites/default/files/2021-05/Management%20of%20Snake%20Bite.pdf पर देखा जा सकता है।

(च): पॉलीवेलेंट एंटीवेनम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित विनिर्माताओं से खरीदा जाता है।

*****